न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024 / 199
दायरा तिथि : 14.06.2024
आदेश तिथि : 12-12-24

प्रार्थी :– श्री सी. वी. सिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी बीजेएस कॉलोनी जोधपुर जिला जोधपुर राज.

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांकः 12-12-24

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम काकराडी पटवार हल्का काकराडी तहसील बाली के खसरा नंबर 34 रकबा 3.7700 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम काकराडी पटवार हल्का काकराडी तहसील बाली के खसरा नंबर 32 रकबा 26.7000 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt /.7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, भीमाणा ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/1330 दिनांक 13.08.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, भीमाणा की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थीगण को अपने खेत से कटान मार्ग आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता वैकंल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है, प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र स्त्रोत है।
2. यह है कि प्रार्थीगण को अपने खेत में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता का ही उपयोग किया जा रहा है।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्ता समस्त रास्तों के विकल्पों में से निकटतम है, कारण यह है कि प्रार्थीगण ने इसी खसरे का बंटवाडा हेतू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली में दावा किया गया है, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा खसरे के नजरी नक्शे के अनुसार होने से निकटतम रास्ता यही है।
4. यह है कि ग्राम काकराडी में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	32	26.7000 हैक्टर	गै.मु. पहाड	110x9=990 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

5. यह कि भू–अभिलेख निरीक्षक नाना की रिपोर्टनुसार भूमि की पंजीयन कार्यालय के अनुसार डी. एल.सी. दर 61,123 रू/– रूपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाली द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम काकराडी के खसरा नंबर 32 के बीच में से रास्ता प्रस्तावित करने के कारण ग्राम काकराडी के खसरा नंबर 32 दो भागों मे विभक्त हो रहा है। इस संबंध में भू–अभिलेख निरीक्षक भीमाणा को न्यायालय में तलब किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक भीमाणा को

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/109

अमवान सी.वी.सिंह बनाम तहसीलदार बाली

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम काकराडी के खसरा नंबर 32 के किनारे से रास्ता प्रस्तावित करने हेतु निर्देश दिये गये। भू–अभिलेख निरीक्षक भीमाणा द्वारा ग्राम काकराडी के खसरा नंबर 32 के किनारे से रास्ता प्रस्तावित कर रिपोर्ट पेश की गई। प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम काकराडी पटवार हल्का काकराडी तहसील बाली के खसरा नंबर 34 रकबा 3.7700 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से भू–अभिलेख निरीक्षक भीमाणा द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम काकराडी पटवार हल्का काकराडी तहसील बाली के खसरा नंबर 34 रकबा 3.7700 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम काकराडी पटवार हल्का काकराडी तहसील बाली के खसरा नंबर 32 रकबा 26.7000 हैक्टर में से **9×211=1899 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए भू–अभिलेख निरीक्षक भीमाणा द्वारा **प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 61,123 /–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
32	26.7000 हैक्टर	9×211=1899 वर्गमीटर	7	13293X2=26586	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 26586/– (अक्षरे छब्बीस हजार पांच सौ छियासी रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। निरीक्षक भू–अभि. भीमाणा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
जिला

क्रमॉक/कोर्ट/2024/2539-2543
23-12-24

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 भीमाणा
3. पटवारी हल्का, काकराडी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री सी. वी. सिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी बीजेएस कॉलोनी जोधपुर जिला जोधपुर राज. को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार **NIC-BHUNAKSHA**

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि) **दिनांक : 11/12/2024 12:40:27 PM**

जिला : पाली

तहसील : बाली **भू. अ. नि. क्षेत्र : भीमाणा**

पटवारी हल्का : काकराडी

ग्राम : काकराड़ी

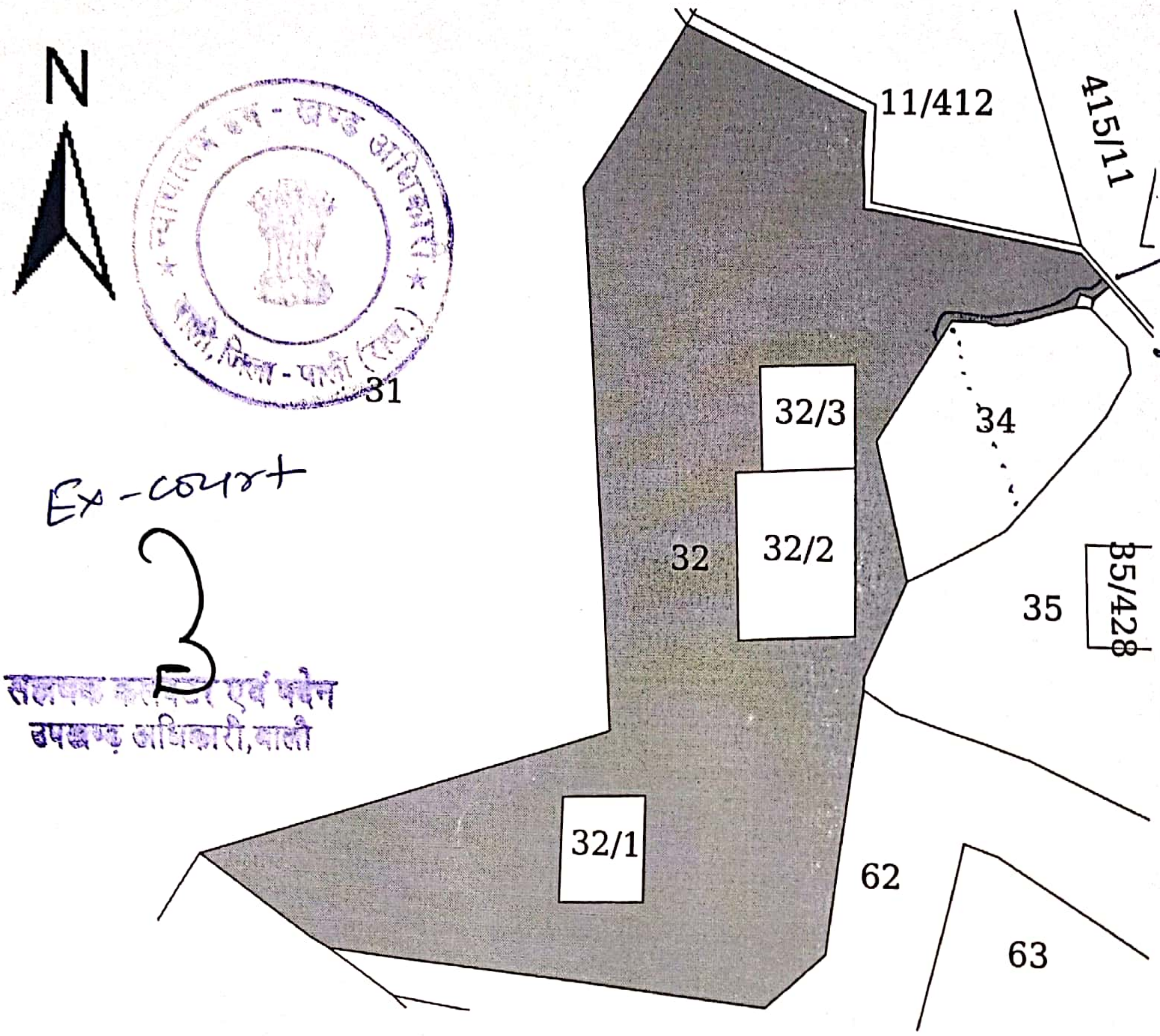

खसरा संख्या :32 क्षेत्रफल : 26.7000 Hectare खाता संख्या : 1पुराना खाता संख्या :1

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: गै.मु.पहाड़ [26.7000]

राज. सरकार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

Scanned with CamScanner